न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 33/2007

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. किशनाराम पुत्र विरदाराम गोदीपुत्र आसूराम 2. रमेश पुत्र भंवरू 3. भागु पुत्र बिरदा 4. मस्ता पुत्र विरदा 5. भाणू पुत्र विरदा जातिगण नायक निवासीगण बिराटिया कलां तहसील रायपुर		1. गजराई पुत्री आसूराम जाति नायक निवासी बिराटिया का तहसील रायपुर 2. तहसीलदार रायपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 23/8/18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 65/2000 में पारित निर्णय एवं डिक्री 30.11.2005 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर जैर अपील वादस्थ भूमि में अपना 1/2 हिस्सा घोषित कराने एवं विभाजन कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विस्तृत जवाबदावा प्रस्तुत किया। इसके पश्चात अपीलाण्ट के अधिवक्त द्वारा पैरवी हेतु हिदायत नहीं होना जाहिर किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 31.01.2004 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निर्णय एवं डिक्री पारित की। चूंकि उक्त डिक्री एकपक्षीय पारित हुई थी, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को होने पर अपीलाण्ट द्वारा उक्त डिक्री को अपास्त कराने हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलाण्ट किशनाराम स्व0 आसूजी का गोदीपुत्र है। आसूराम के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने के कारण उन्होने अपने जीवनकाल में अपीलाण्ट किशनाराम को गोद लिया था। जैर अपील वादस्थ भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 18.07.1995 को राजीनामा निष्पादित किया है, जिसमें अपीलाण्ट किशनाराम को आसूजी का गोदीपुत्र मानते हुए उनके 1/2 हिस्से की भूमि किशनाराम की होना स्वीकार किया तथा मौके पर कब्जा भी किशनाराम का माना है। इससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एस्पोप्ड है। उक्त दस्तावेज को अस्वीकृत कराए बगैर रेस्पोडेन्ट किसी भी कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र नहीं थी। इन समस्त तथ्यों को अपीलाण्ट द्वारा अपने जवाबदावे में रेखांकित किया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा पेरवी हेतु हिदायत नहीं होना जाहिर किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब करते, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह नहीं किया गया एवं अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को भी खारिज किया तथा एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री को यथावत रखा। उक्त समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध तरीके से की गई, जो किसी भी रूप में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता आसूराम की खातेदारी भूमि है। आसूराम के एकमात्र जायन्दा पुत्री है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 है। आसूराम ने अपीलाण्ट किशनाराम को कभी भी गोद नहीं लिया। किशनाराम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के काका विरदाराम का पुत्र है। आसूराम ने अपनी समस्त चल अचल सम्पति रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत की थी, जो वसीयतनामा दिनांक 30.12.1994 को उप पंजीयन अधिकारी रायपुर के समक्ष निष्पादित करवाया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता की मृत्यु होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि की स्वतः खातेदार काश्तकार हो चुकी थी। अपीलाण्ट किशनाराम द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की जानकारी के बिना ही स्वयं को आसूराम का गोदीपुत्र होना बताते हुए उनका फौतेदगी नामान्तरकरण स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया। उक्त तथ्यों की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि को अपने पिता आसूराम की

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सह खातेदारी होकर उस भूमि का नामान्तरकरण अपीलाण्ट किशनाराम के नाम गलत रूप से वर्ज होना बताते हुए किशनाराम के नाम दर्ज हुए इन्द्राज को विलोपित करते हुए आसूराम के हिस्से की भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित कराने एंवं पृथक से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कराते हुए अपीलांण्ट्स को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। इसके विपरित किशनाराम ने स्वयं को आसूराम का गोदीपुत्र होना बताते हुए वाद को खारिज कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.07.2003 को पैरवी हेतु हिंदायत नहीं होना जाहिर किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स/प्रतिवादीगण को आवाजे लगयावा जाना एवं उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त कार्यवाही विधिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार यदि अधिवक्ता द्वारा पक्षकार की ओर से पैरवी हेतु हिदायत नहीं होना जाहिर किया जाता है, तो न्यायालय का यह दायित्व होता है कि वे पक्षकार को पैरवी हेतु जरिये नोटिस तलब करें। इसके बावजूद भी यदि पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, तो विधि अनुसार आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावे। हस्तगत प्रकरण में इस प्रक्रिया का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इसके पश्चात अपीलाण्ट्स द्वारा प्रकरण में अपनी प्रतिरक्षा का अवसर प्रदान कराने एवं एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराने का निवेदन करने पर मात्र मियाद के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जो उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 30.11.2005 को पारित निर्णय त्रुटीपूर्ण है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पक्षकार अपनर प्रतिरक्षा हेतु प्रतिबद्ध हो, वहां न्यायालय को उदार रूख अपनाते हुए प्रकरण को कानूनी प्रक्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण पर परखने के पश्चात ही किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रकरण में उल्लेखित तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर विवाद्यक कायम किए जाकर, उन पर साक्ष्य संग्रहित कर, उन साक्ष्यों के परीक्षणोपरान्त विवाद्यक विनिश्चित करते हुए ही निष्कर्ष अंकित किया जा सकता था एवं यही प्रक्रिया अनुसार विधि सम्मत था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन प्रक्रियाओं की पालना किए बिना ही जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें स्पष्टतया अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इन समस्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय विधि सम्मत नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 65/2000 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2003, निर्णय एवं डिक्री 31.01.2004 तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश दिनांक 30.11.2005 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के अनुसार प्रकरण में सुनवाई कर पक्षकारान् को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी अधीनस्थ न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 23/8/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली